मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग,
//मंत्रालय, //
वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 20-6-2013

क्रमांक एफ 3- 22/2013/26-2/———— /निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के तहत निःशक्त बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **"मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना"** आदेश जारी होने के दिनांक से प्रारंभ की जाती है ।

योजना के उद्देश्य एवं संचालन आदि की प्रक्रिया हेतु योजना की प्रति संलग्न है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

20/6/13

(श्रीमती एस.खंडाते)
अवर सचिव,
मध्ययप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग

क्रमांक/एफ 3-22/2013/26-2/
भोपाल, दिनांक 20 6-2013

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, कार्यालय भोपाल
6. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर
7. आयुक्त, सामाजिक न्याय, म.प्र., भोपाल
8. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.
9. समस्त कलेक्टर, म.प्र.
10. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय विभाग
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.
12. समस्त संयुक्त संचालक/ उप संचालक, सामाजिक न्याय, म.प्र.

20/6/13
अवर सचिव,
मध्ययप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग

मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना

प्रस्तावना :

स्पर्श अभियान–2011 में निःशक्तजनों के चिन्हांकन के अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 8.10 लाख निःशक्तजन चिन्हांकित किये गये हैं। निःशक्तजनों के प्राप्त आंकड़ के विश्लेषण तथा अध्ययन के पश्चात् आयु के मान से निःशक्तजनों की संख्या इस प्रकार पाई गई है :–

क्र.	आयु वर्ग	संख्या
1.	14 से 18 वर्ष	74,873
2.	18 से 40 वर्ष	3,14,757

क्र.	शैक्षणिक स्तर	अध्ययनरत् निःशक्तजन संख्या
1.	कक्षा 1 से 8 तक	42,605
2.	कक्षा 9 से 12वीं तक	5,379
3.	स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर	382

इस तरह 14 से 18 वर्ष आये के निःशक्तजनों की संख्या 74,873 पाये गये हैं जिसके विरूद्ध मिडिल एवं माध्यमिक स्तर पर लगभग 47,984 निःशक्तजन अध्ययनरत् हैं। 26,889 निःशक्तजन अध्ययनरत् नहीं पाये गये।

प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या 42,605 के विरूद्ध कक्षा 9वीं से 12वीं तक में अध्ययन करने वालों की संख्या मात्र 5,379 हैं अर्थात केवल 12.62% निःशक्तजन ही मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण कर माध्यमिक स्तर में अध्ययन कर रहे हैं तथा महाविद्यालयीन शिक्षा में यदि देखा जाये तो 42,605 के विरूद्ध प्रवेशित विद्यार्थियों का प्रतिशत 1% से भी कम है। उच्चतर माध्यमिक एवं

महाविद्यालयीन शिक्षा में निःशक्तजनों का प्रवेश न लेने के कारणों की जानकारी प्राप्त की गई, उसमें मुख्य रूप से यह आये :–

(1) अधिकाशं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार निःशक्त बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने से वंचित रहते हैं क्योंकि उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के पश्चात् भी उनके लिये रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होते।

(2) उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्यालय उनके निवास स्थान से दूर होने के कारण उनके आने–जाने में कठिनाई होती है, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के निःशक्तजन शहरी क्षेत्र में निवास नहीं कर पाते क्योंकि महाविद्यालय में निःशक्त विद्यार्थियों के लिये छात्रावास की सुविधा पर्याप्त मात्रा में विकसित नहीं है।

(3) तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिये संसाधनों की कमी। इस कारण से वे कम्प्यूटर क्रय करने में सक्षम नहीं रहते।

(4) शिक्षक, प्रशिक्षकों का अभाव भी एक कारण है।

सामाजिक न्याय विभाग ने निःशक्तजनों की शिक्षा के लिये शिक्षा प्रोत्साहन के अंतर्गत निम्नांकित योजनाएं प्रारम्भ की थी :–

1. निःशक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति.
2. निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति.
3. छात्रगृह योजना.
4. उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस निर्वहन, परिवहन भत्ता योजना.

उक्त योजना में से केवल छात्रवृत्ति के अंतर्गत 54 हजार विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति हेतु एक भी आवेदन विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। छात्रगृह योजना का लाभ भी निःशक्त विद्यार्थियों नहीं उठा पा रहे हैं। उच्च

शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वहन भत्ता, परिवहन भत्ता भी निःशक्त विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति आकर्षित नहीं कर रहा है।

स्पर्श मेला–2013 में **''शिक्षा एवं रोजगार''** विषय पर आयोजित कार्यशाला में भिन्न–भिन्न विशेषज्ञ व्यक्तियों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किये हैं। उसमें यह बात सामने आई है कि–

(1) निःशक्त विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिये अनुकूल वातावरण निर्मित किया जाये।

(2) प्रशिक्षित शिक्षकों को स्कूल में पदस्थ किया जाये तथा महाविद्यालयीन शिक्षकों को निःशक्त विद्यार्थियों के अध्ययन कराने के लिये प्रशिक्षित किया जाये।

(3) छात्रवृत्ति, फीस निर्वहन, परिवहन भत्ता की दरों में वृद्धि की जाये।

(4) इसके अतिरिक्त अस्थिबाधित ऐसे विद्यार्थी जो दोनों पैरों से चलने में सक्षम नहीं हैं उनको स्कूल एवं महाविद्यालय तक जाने के लिये मोट्रेट ट्रायसिकल उपलब्ध कराई जाये।

(5) मंदबुद्धि, दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित बच्चों को लेपटाप उपलब्ध कराया जाये।

उक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुये विभाग के अंतर्गत चल रही योजनाओं के अतिरिक्त लेपटाप प्रदाय और मोट्रेट ट्रायसिकल प्रदाय की एक योजना तैयार की गई है जिसका नाम ''मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2013'' रखा गया है। योजना इस प्रकार है :–

1. योजना का नाम :

मुख्यमंत्री निःशक्त विद्यार्थी शिक्षा प्रोत्साहन योजना -2013

2. उद्धेश्य :

1. निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना.
2. निःशक्त विद्यार्थी जो दोनों पैरों से चलने में सक्षम नहीं हैं(अस्थिबाधित) उनकी पहुंच शैक्षणिक संस्थाओं तक बाधारहित/सुगम बनाना।
3. दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु सहायक उपकरण उपलब्ध कराना.
4. निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराकर उनको आत्मनिर्भर बनाना.

सहायता का स्वरूप :

निःशक्तता की श्रेणी	सामग्री का नाम	प्रथम बार	द्वितीय बार
मंदबुद्धि	लेपटाप	10वीं में प्रथम बार प्रवेश लेने पर एक बार ही	स्नातक/पोलिटेक्निक में प्रवेश लेने पर
दृष्टिबाधित	—''—	—''—	—''—
श्रवणबाधित	—''—	—''—	—''—
अस्थिबाधित (दोनो हाथ न होने पर)	—''—	—''—	—''—
अस्थिबाधित (दोनो पैरों से चलने में अक्षम)	मोट्रेट ट्रायसिकल	—''—	—''—

पात्रता के मापदण्ड :

(1) मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो,

(2) अस्थिबाधित श्रेणी के विद्यार्थी ने गत परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त किये हो एवं अन्य श्रेणी के निःशक्तजनों ने 50% अंक प्राप्त कर शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय अथवा पोलीटेक्निक (कालेज में न्यूनतम दो वर्ष का डिप्लोमा) हेतु नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया हो।

(3) निःशक्तता व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निःशक्तता की श्रेणी में आते हुये, अस्थिबाधित जो दोनों पैरा से चलने में असमर्थ, दृष्टिबाधित 40% से अधिक, श्रवण बाधित 40% से अधिक, मंदबुद्धि जिनको चिकित्सकों द्वारा प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो।

(4) विद्यार्थी के माता—पिता/अभिभावक की संयुक्त आय रू0 96,000/— वार्षिक से अधिक न हो।

(5) निःशक्त विद्यार्थी का स्पर्श अभियान के पोर्टल में नाम अंकित हो।

आवेदन की प्रक्रिया :

निःशक्त विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत स्पर्श पोर्टल पर बेवसाईट – **www.socialjustice.mp.gov.in** पर आन लाईन आवेदन करना होगा जिसका निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र बेवसाईट पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र में समग्र कोड और स्कूल/महाविद्यालय का कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जाये।

चयन :

हितग्राही का चयन स्पर्श पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण संयुक्त/उप संचालक सामाजिक न्याय तथा जिला शिक्षा आधिकारी द्वारा किया जायेगा। महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के मामले में जिले के महाविद्यालय के प्राचार्य जिसे कलेक्टर द्वारा अधिकृत किया गया हो, के द्वारा किया जायेगा।

चयन सूची कलेक्टर के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगा। कलेक्टर के अनुमोदन उपरान्त निःशक्त विद्यार्थियों को अपने मूल दस्तावेज के साथ संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय में एक निर्धारित तिथि को आयोजित शिविर में उपस्थित होकर दस्तावेजों का परीक्षण कराना होगा जिसमें मुख्य रूप से अंक–सूची, निःशक्तता प्रमाण–पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विद्यालय/महाविद्यालय में लिये गये प्रवेश पत्र आवश्यक होगा। उक्त दस्तावेज की पूर्ति उपरान्त ही हितग्राही को सहायता हेतु अंतिम रूप से पात्र माना जायेगा।

सामग्री क्रय एवं गुणवत्ता हेतु समिति :

क्रय समिति म0प्र0 क्रय नियमों के अंतर्गत सामग्री क्रय करेगी। क्रय समिति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित की जायेगी :–

1.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	अध्यक्ष
2.	जिला कोषालय अधिकारी	सदस्य
3.	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
4.	कलेक्टर द्वारा अधिकृत उक्त के अतिरिक्त कोई एक अधिकारी	सदस्य
7.	संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय	सदस्य सचिव

उक्त समिति भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुये सामग्री क्रय करेगी। लेपटाप की दरों का निर्धारण सूचना प्रौद्योगिकी/सामाजिक न्याय विभाग, लघु उद्योग निगम अथवा डी.जी.एस.एण्ड डी. द्वारा निर्धारित दर पर सामग्री क्रय की जा सकेगी। यदि उक्त संस्थाओं द्वारा दरें निर्धारित नहीं की गई है, तो ऐसी स्थिति में संक्षिप्त निविदा के माध्यम से क्रय समिति जिले के लिये सामग्री क्रय कर सकेगी।

सामग्री वितरण हेतु समारोह का आयोजन :

चयनित हितग्राहियों के मान से सामग्री क्रय उपरान्त जिले के कलेक्टर जिले के प्रभारी मंत्री से परामर्श कर सामग्री वितरण हेतु समारोह आयोजित करेंगे जिसमें जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जायेगा। निःशक्त विद्यार्थियों के अध्ययन को ध्यान में रखते हुये यह उचित होगा कि प्रत्येक वर्ष 5 सितम्बर शिक्षक दिवस अथवा 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के दिन ही समारोह आयोजित किया जाये।

वित्तीय व्यवस्था :

मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत गठित निराश्रित निधि पर अर्जित ब्याज की राशि से की जायेगी।

वित्तीय स्वीकृति :

1. जिले के कलेक्टर द्वारा चयनित हितग्राहियों को प्रति हितग्राही अधिकतम रूपये 50,000/—की राशि के भीतर के मान से वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। इस हेतु प्रत्येक कलेक्टर को रूपये 2.00 लाख तक के अधिकार प्रदत्त हैं।
2. जिले में निराश्रित निधि पर अर्जित ब्याज की राशि नहीं होने की स्थिति में प्रस्ताव स्वीकृति हेतु आयुक्त सामाजिक न्याय को प्रेषित किया जायेगा।
3. क्रय की जाने वाली सामग्री का मूल्य प्रति नग रूपये 50 हजार से अधिक होने की स्थिति में प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा।

अभिलेखों का संधारण :

योजना अन्तर्गत हितग्राहियों की जानकारी स्पर्श अभियान पोर्टल पर उपलब्ध रखा जाये तथा जो–जो सामग्री उनको वितरित की जा रही है उसका लेखा–जोखा 10 वर्ष तक संधारित करना होगा और वेबसाईट पर उपलब्ध कराना होगा।

अनुबंध :

जिन विद्यार्थियों को यह सहायता उपलब्ध कराई गई है, उनसे अनुबंध करना होगा जिससे वह प्राप्त सामग्री का विक्रय नहीं कर सकेंगे।

बीच में अध्ययन छोड़ने वाले विद्यार्थियों को प्रदाय की गई सामग्री के मूल्य की राशि वापस करना होगी।

सामग्री क्षतिग्रस्त होने या गुम होने पर जबावदारी विद्यार्थी की रहेगी ऐसी स्थिति में दूसरी बार सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।

इस अनुबंध की मूल प्रति संयुक्त/उप संचालक सामाजिक न्याय के कार्यालय में रहेगी तथा एक प्रति शैक्षणिक संस्था के पास उपलब्ध रहेगी। शैक्षणिक संस्था के प्रभारी यदि विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र के बीच में ही अध्ययन छोड़कर अन्य कहीं चला जाता है तो टी.सी. देने के समय सामग्री के समतुल्य राशि वापस प्राप्त कर संयुक्त/उप संचालक सामाजिक न्याय के कार्यालय में जमा करना होगी तभी उसको टी.सी. प्रदाय की जाये।

समीक्षा :

जिला स्तर

जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित समिति योजना की समीक्षा वर्ष में दो बार करेगी –

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	सदस्य
3.	प्राचार्य महाविद्यालय	सदस्य
4.	उप संचालक शिक्षा	सदस्य

5. दो अभिभावक (जिनके निःशक्त बच्चे अध्ययन कर रहे हों) सदस्य
6. संयुक्त/उप संचालक सामाजिक न्याय सदस्य सचिव

राज्य स्तर

माननीय मंत्रीजी सामाजिक न्याय की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित समिति योजना की समीक्षा करेगी –

1.	मा0 मंत्रीजी, सामाजिक न्याय	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा	सदस्य
5.	सचिव, सामाजिक न्याय सदस्य	सदस्य
6.	आयुक्त, सामाजिक न्याय	संयोजक

योजना का अध्ययन

योजना के अन्तर्गत लाभान्वित विद्यार्थियों का प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार अध्ययन सामाजिक न्याय विभाग द्वारा कराया जायेगा। अध्ययन के परिणामों को देखते हुए योजना में नीतिगत परिवर्तन के निर्णय राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिये जा सकेंगे।

————

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग
उच्चतर माध्यमिक/स्नातक/स्नात्कोत्तर/पॉलीटेक्नीक के निःशक्त विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन हेतु आवेदन पत्र

!! विधार्थी का विवरण !!

फोटो

1) छात्र/छात्रा का स्कॉलर नम्बर — जिला / वि.स. / संस्था / पंजीयन क्रमांक

2) कक्षा .... संकाय .... सेक्शन ....

3) शैक्षणिक संस्था का नाम ....

4) शैक्षणिक संस्था में प्रवेश की तिथि ....

(संस्था द्वारा भरा जाये)

समग्र कोड क्रमांक

1) छात्र/छात्रा का नाम :–
(हिन्दी में)

2) छात्र/छात्रा का नाम :–
(अंग्रेजी में)

3) गत् वर्ष उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण :–

परीक्षा का नाम	संस्था का नाम	परीक्षा परिणाम	श्रेणी

4) पिता का नाम :–

5) माता का नाम :–

6) A. स्थाई पता :–

म0क्र0			वार्ड	क्रमांक							
					पिन						

B.पत्र व्यवहार का पता–

म0क्र0			वार्ड	क्रमांक							
					पिन						

7) दूरभाष क्रमांक :–

8) जन्मतिथि :– प्रवेश के समय आयु

9) लिंग/वर्ग/जाति/धर्म :– पु0/M स्त्री/F वर्ग ST\SC\OBC\Gen\Poor\M धर्म जाति

H/M/C/S/B/J/Oth

Final-NK Shiksa Protsahan Y.2013 5-3-2013

!! विद्यार्थी/माता/पिता का बचत बैंक खाता विवरण !!

10) A. बैंक का नाम :— [ ]

B. खाता क्रमांक :— [ ]

C. IFSC कोड नम्बर :— [ ]

11) विद्यार्थी के माता / पिता की आय का स्त्रोत :— ....

विद्यार्थी के माता / पिता की वार्षिक आय रु.:— ....(शब्दों में)..........................

नियोजन का विवरण :— A. पद :— ....

B. संस्था का नाम :— ....

C. नियोजन का प्रकार :— स्थाई / अस्थाई / अंशकालीन

12) निःशक्ता का विवरण (अस्थि बाधित / दृष्टि बाधित / श्रवण बाधित मंदबुद्धि)

- निःशक्तता का प्रकार ....
- निःशक्तता का प्रतिशत ....
- निःशक्तता प्रमाण पत्र का क्रमांक [ ]
- जारी करने का दिनांक DD/MM/YYYY [ ]
- जारी करने वाले चिकित्सक / संस्था का नाम ....
- स्पर्श कार्ड का क्रमांक ....

13) अतः अनुरोध है कि मैं ....श्रेणी का निःशक्त हूं मुझे शिक्षा अध्ययन में सहयोग हेतु एक लेपटाप / मोट्रेट ट्रायसिकल प्रदान करने का कष्ट करें।

// घोषणा पत्र //

सत्य निष्ठा से घोषणा करता हुं, कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और प्रमाण पत्रों के आधार पर पूर्ण रुप से सत्य है, यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो मुझे छात्रवृत्ति / वाचक भत्ता एवं प्रोत्साहन राशि से वंचित किया जा सकेगा।

पिता / माता / अभिभावक का नाम एवं हस्ताक्षर

छात्र / छात्रा का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

स्थान

दिनांक :

संस्था प्रमुख का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी.. आत्मज श्री/श्रीमती.. द्वारा संस्था में दिनांक .... को कक्षा .... में नियमित रुप से प्रवेश लिया गया है। छात्र/छात्रा को नियमानुसार छात्रवृत्ति/दृष्टिबाधित के लिए वाचक भत्ता एवं उत्कृष्ट छात्र के लिए प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किए जाने की अनुशंसा की जाती है ।

स्थान :
दिनांक :

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
एवं पद मुद्रा

अनुबंध

मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय विभाग की शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मुझे ....यह सामग्री प्राप्त हुई है।

मैं यह अभिकथन करता हूँ कि –

1. मैं ....प्राप्त सामग्री अपनी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा/महाविद्यालयीन शिक्षा पूर्ण होने तक उपयोग करता रहूंगा। इसे बीच में न तो इसका विक्रय करूंगा और न ही किसी को उधार दुंगा और न ही रहम रखूंगा। प्राप्त सामग्री की सुरक्षित और वह क्षतिग्रस्त न हो, इस बात का मैं पूरा ख्याल रखूंगा।
2. यदि मैं अपनी शिक्षा बीच में छोड़ता हूं तो सामग्री के मूल्य के समतुल्य राशि संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय के कार्यालय मं जमा करूंगा।

1. विद्यार्थी का नाम ....
2. पिता/अभिभावक का नाम ....
3. जन्म तिथि ....
4. कक्षा...
5. निवास का पता ....
6. विद्यालय/महाविद्यालय का नाम ....

.... माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर	.... शैक्षणिक संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर